

न्यायालय तहसीलदार/ नायब तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़

प्रकरण संख्या 16/2019

सरकार जरिये पटवारी हल्का

बनाम

..... काका सिंह पुत्र दलीप सिंह
जाति साकिन (खरलिया टपीली बंगाल) निर्णय दिनांक 22-4-19.....
इस प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं :-

पटवारी हल्का 14 APR ने इस न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि चक 12 APR के मु. नं. $\frac{254}{398}$, $\frac{252}{399}$, $\frac{253}{399}$ के कि. नं. के कुल 3.557 रकबा राज पर काका सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति साकिन (खरलिया) ने फसल रबी/खरीफ में जिन्स रकबा पर खरलिया 2013 काशत कर अतिक्रमण कर लिया है।

पटवारी के आवेदन को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी प्रारूप में नोटिस जारी किया गया। नोटिस में विनिर्दिष्ट भूमि का अंकन कर, अप्रार्थी से यह आपेक्षा की गई थी, कि वह निर्धारित तिथि तक इस भूमि से अपना अधिभोग हटा लें, अन्यथा उपस्थित आकर ऐसा न करने का कारण बतावें। नोटिस अप्रार्थी पर विहित रिति से तामिल हुआ।

नोटिस के प्रत्युत्तर में, अप्रार्थी न तो उपस्थित आया और न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। अतः एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार प्रशनगत भूमि रकबा राज है। अतः अप्रार्थी काका सिंह पुत्र दलीप सिंह को चक 12 APR के मु. नं. $\frac{254}{398}$, $\frac{252}{399}$, $\frac{253}{399}$ के 3.537 रकबा राज को इस अतिचार के लिये उस पर भू. राजस्व का 10 गुणा रूपये 285 अखरे रूपये दो सौ पचासी रुपये मात्र की शास्ती आरोपित किया जाता है भू. अभि. निरीक्षक को पूर्व में फसल कुर्क करने का अन्तरिम आदेश दिये गये थे, उसकी पुष्टि की जाती हैं। भू. अभि. निरीक्षक को आदेश जारी हो कि शास्ती की मांग ढालबाछ में कायम, वसूली करें। तथा अप्रार्थी को उक्त रकबा राज से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लेवे। T.R.A. के 'घ' रजिस्टर में मांग कायम करावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब व तफसील दाखिल दफ्तर हो।

(निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।)

तहसीलदार (राजस्व)
अनूपगढ़